



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2016/माघ 29, 1937

No. 448]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2016/MAGHA 29, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 2016

का. आ. 526(अ).— यतः, मै. सिरीन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में कलवा ट्रांस थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, जिला थाणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1876(अ) दिनांक 02 नवंबर, 2007 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कलवा ट्रांस थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, जिला थाणे में 19.34 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. सिरीन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड ने अब 0.62 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.62 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 19.96 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित प्लॉट संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः-

तालिका

क्र.सं.	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	3 (भाग)	0.62
कुल		0.62
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		19.96

[फा. सं. एफ.2/94/2005-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2016

S. O. 526(E).— WHEREAS, M/s. Serene Properties Private Limited, a private organization in the State of Maharashtra, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Kalwa Trans Thane Creek Industrial Area, MIDC, District Thane, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 19.34 hectares at Kalwa Trans Thane Creek Industrial Area, MIDC, District Thane, in the State of Maharashtra as Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1876 (E) dated 2nd November, 2007;

AND WHEREAS, M/s. Serene Properties Private Limited, has now proposed to include an area of 0.62 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of **0.62 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **19.96 hectares**, comprising the plot number and the area given below in the table namely:-

TABLE

S.No.	Plot No.	Area in hectares
1	3 (P)	0.62
Total		0.62
Grant total area of SEZ after above addition		19.96

[F. No. F.2/94/2005-SEZ]

DR. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.